जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

कोटा

Rashtradoot

फोनः- 2386031, 2386032 फैक्सः- 0744-2386033 वर्षः 48 संख्याः 262 प्रभात कोटा, गुरुवार 6 जुलाई, 2023 कोटा/24/2012-14 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

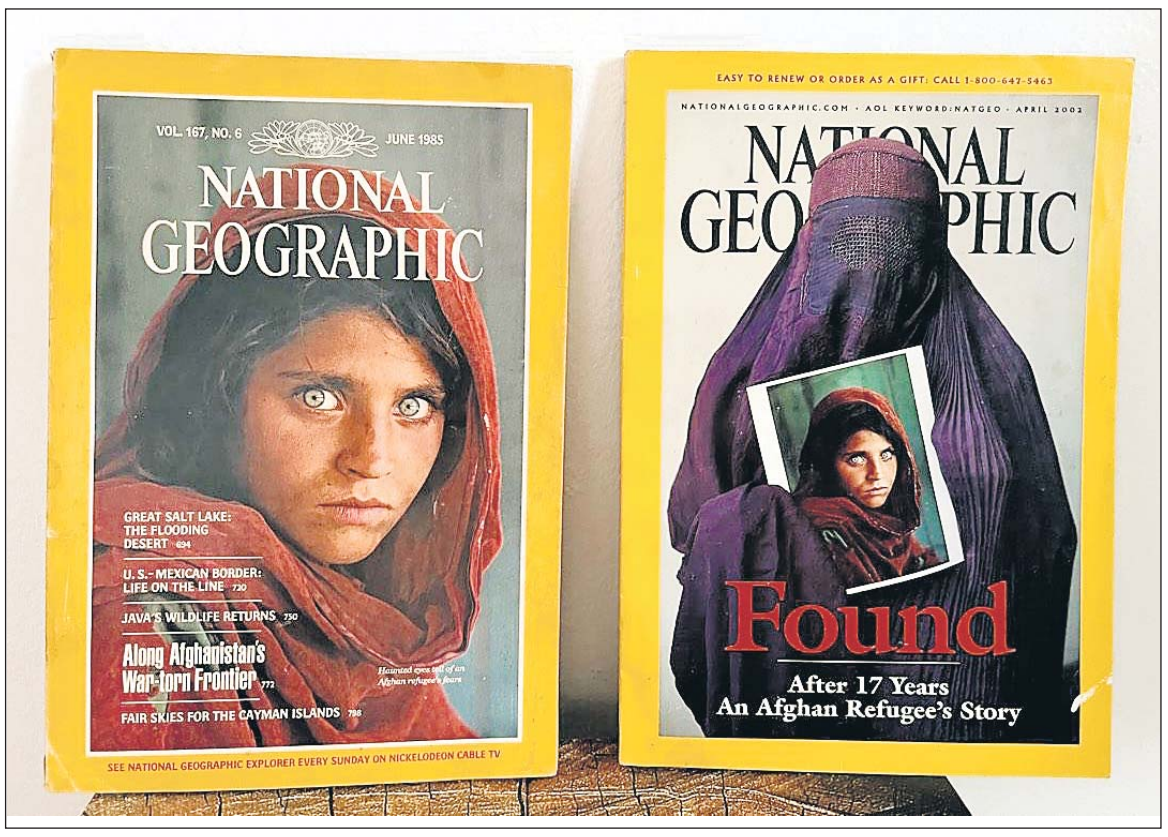

कहा जा रहा है कि, पीले बॉर्डर वाली, अतिलोकप्रिय नैशनल जियोग्राफिक मैगज़ीन ने अपने अंतिम स्टाफ लेखकों को भी हटा दिया है। पहली बार 1988 में छपी यह मैगज़ीन अब बंद होने के कगार पर है। एक दशक से यह मैगज़ीन डिजिटल पब्लिशिंग की चुनौतियों से जूझ रही थी। वॉशिंगटन पोस्ट के अनुसार, विज्ञान और प्रकृति से सम्बंधित आलेख आम जनता तक पहुंचाने और सुंदर तस्वीरों के लिए विख्यात यह मैगज़ीन अगले वर्ष तक अमेरिका में न्यूज़ स्टैंड से भी गायब हो जाएगी। रिपोर्ट के अनुसार गत 9 महीनों में दूसरी बार और 2015 में स्वामित्व परिवर्तन के बाद से चौथी बार इस मैगज़ीन के स्टाफ की छंटनी हुई है। वर्तमान में कम्पनी के 73 प्रतिशत शेयर्स वॉल्ट डिज़नी के पास हैं और वही कम्पनी इस मैगज़ीन की स्वामी है। सितम्बर में डिज़नी ने 7 टॉप संपादकों को हटा दिया था। मैगज़ीन के कर्मचारियों ने बताया कि, मैगज़ीन ने लागत कम करने के कई फैसले किए और फोटोग्राफर्स के साथ अनुबंध भी कम कर दिए गए, जिनकी बदौलत फोटो ग्राफर्स महीनों फील्ड में रहकर अभूतपूर्व तस्वीरें खींचते थे। नवीनतम कटौती में संपादकीय स्टाफ से 19 लोगों को हटाया गया है, इन सभी को अप्रैल में नोटिफाई कर दिया गया था। हटाए गए संपादकों ने ट्विटर पर मैगज़ीन के साथ अपने अनुभव साझा किए। वरिष्ठ लेखक क्रेग वैल्च ने लिखा "मैं भाग्यशाली हूँ मुझे असाधारण पत्रकारों के साथ काम करने और वैश्विक कहानियाँ बताने का मौका मिला। यह बहुत सम्मान की बात है।" बताया जाता है कि, अब पत्रिका फ्रीलांसर्स और अतिथि लेखकों के साथ काम करेगी।

ए.आई.सी.सी. ने एक बार फिर शांति धारीवाल, महेश जोशी व धर्मेन्द्र सिंह को "अवांछनीय" माना

ए.आई.सी.सी. ने डोटासरा की अधिकृत सिफारिश के बावजूद इन तीनों नेताओं को आमंत्रित नहीं किया

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 5 जुलाई। राजस्थान के परिदृश्य में चर्चा करने के लिये कल दो महत्वपूर्ण मीटिंग होनी हैं।

सुबह होने वाली मीटिंग में करीब 25-30 नेता भाग लेंगे तथा इनमें से अधिकांश लोग दिल्ली पहुँच चुके हैं। ऐसी अपेक्षा की जा रही है कि इस मीटिंग का फोकस राजस्थान के आगामी विधानसभा चुनावों पर होगा तथा इस बात पर चर्चा होगी कि आगामी चुनावों के लिये पार्टी की रणनीति क्या रहनी चाहिये, जिससे भाजपा को हराया जा सके।

समझा जाता है कि राजस्थान पी.सी.सी. ने इस मीटिंग में आमंत्रित किये जाने के लिये शांति धारीवाल, महेश जोशी तथा देवेन्द्र के नाम भेजे थे। लेकिन ए.आई.सी.सी. ने इन्हें उपकृत नहीं किया, अर्थात इनमें से किसी के पास आमंत्रण नहीं भेजा गया है, जबकि धारीवाल तो इस उम्मीद में दिल्ली में ही थे कि उन्हें आमंत्रित किया जायेगा।

- आमंत्रण तो मिलेगा ही, यह मान कर धारीवाल दिल्ली पहुंच गये थे, पर, उन्हें मायूसी ही मिली।
- जैसा कि विदित ही है, गुरूवार को प्रातः राजस्थान के आगामी चुनाव के मुताल्लिक भारी बैठक बुलायी गयी है, जिसमें खड़गे, रंधावा, डोटासरा, वेणु गोपाल व सचिन पायलट भाग लेंगे। राहुल गांधी के आने की भी संभावना है तथा गहलोत संभवतया "ज़ूम" के मार्फत भाग लेंगे।
- इस मीटिंग में कांग्रेस के लगभग 25-30 नेता सम्मिलित होंगे।
- इसके बाद शाम को कुछ लोगों की छोटी पर महत्वपूर्ण बैठक होगी, जिसमें पायलट-गहलोत मुद्दे पर कुछ निर्णय होने की संभावना है।

ज्ञातव्य है कि इन तीनों ही सज्जनों के पास कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ विद्रोह को अंजाम देने के मामले में "कारण बताओ" नोटिस भेजे गये थे लेकिन इसके बाद, इन लोगों के खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं की गई।

लेकिन, वस्तुतः, ये लोग ब्लैकलिस्ट कर दिये गये हैं तथा इन्हें फरवरी में रायपुर में आयोजित ए.आई.सी.सी. के सम्मेलन में भी आमंत्रित नहीं किया गया था।

ऐसी आशा की जा रही है कि अशोक गहलोत ज़ूम के ज़रिये इस मीटिंग में शामिल होंगे, वहीं ऐसी भी जानकारी मिली है कि आज शाम हरीश चौधरी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भेंट की।

कल शाम को एक और मीटिंग होने की उम्मीद है, जो काफी छोटी होगी तथा संभवतः इस मीटिंग में पार्टी की अंदरूनी स्थिति का जायजा लेने के साथ ही, अशोक गहलोत या सचिन पालयट के बीच चल रही कटु लड़ाई के समाधान के तरीकों और साधनों पर विचार किया जायेगा।

इस मीटिंग में, रंधावा, डोटासरा, मल्लिकार्जुन खड़गे, के.सी. वेणुगोपाल तथा सचिन पायलट के उपस्थित होने

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

क्या आपको कम सुनाई देता है। ?
ऑटोमेटिक
कान की मशीनें
स्पीच थैरेपी
कॉकलियर इम्पलांट, ऑटिजम
डिले स्पीच, हकलाना, तुतलाना
PERFECT SPEECH AND HEARING SOLUTIONS
Tonk Road, JAIPUR | Vaishali Nagar, JAIPUR
सम्पर्क- 94602 07080

नकद लेन देन पर सरकार की पैनी नज़र

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 5 जुलाई। आयकर विभाग ने एक वर्ष में 10 लाख रू. से अधिक के नकद लेन-देन का पर्यवेक्षण करने के आदेश दिए हैं। ये लेन-देन एक वित्तीय वर्ष में बैंक की सावधि जमा और बचत खाता, शेयर की खरीद, म्युचुअल फंड, डिबेंचर और बाँड में हो सकते

- आयकर विभाग का निर्देश हैं कि, बैंक में दस लाख रू. नकद जमा करने, क्रेडिट कार्ड के एक लाख रू. या उससे अधिक के बिल का नकद भुगतान करने और 30 लाख रू. की सम्पत्ति को खरीदने या बेचने पर नकद भुगतान की जानकारी दी जाए।

हैं।दो अन्य नकद लेन-देन जिन पर निगरानी रखी जाएगी वे हैं, एक बार में 1 लाख रूपए से अधिक क्रेडिट कार्ड बिलों का नकद भुगतान या संपत्ति के रजिस्ट्रार के यहाँ बड़ा नकद लेन-देन। रजिस्ट्रारों को निर्देश हैं कि यदि कोई 30 लाख रूपए से अधिक की सम्पत्ति नकद में बेचता या खरीदता है, तो उसकी सूचना आयकर विभाग को दी जाएगी। आयकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए है कि वे संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर नकद भुगतान के धन का स्त्रोत मालूम करें।

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुसलमानों को यू.सी.सी. के दायरे से बाहर रखने की पैरवी की

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 5 जुलाई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मांग की है कि आदिवासियों के अलावा धार्मिक अल्पसंख्यकों को भी प्रस्तावित यूनिफॉर्म सिविल कोड (यू.सी.सी.) के दायरे से बाहर रखा जाए।

विधि आयोग के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि यू.सी.सी. के नाम पर एकीकृत कानून लाने से भारत जैसे विविधता सम्पन्न देश में लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन होगा।

क्योंकि यहां कई धर्मों, पंथों व संस्कृतियों को मानने वाले लोग रहते हैं। विधि आयोग ने यू.सी.सी. पर कोई भी आपत्ति केा प्रस्तुत करने के लिए सभी पक्षों को 14 जुलाई तक का समय दिया है।

हाल ही में भोपाल में एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानंत्री नरेन्द्र मोदी ने यू.सी.सी. के क्रियान्वयन की आवश्यकता पर जोर दिया, साथ ही विपक्षी दलों पर आरोप लगाया कि वे इस मुद्दे का उपयोग कर मुसलमानों को उकसाती हैं और गुमराह करती हैं।

- लॉ कमिशन को लिखे पत्र में यह तर्क दिया गया है कि, जिस प्रकार आदिवासी (ट्राइबल्स) को यू.सी.सी. से पृथक रखने का प्रस्ताव आया है, ऐसा प्रावधान धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिये भी होना चाहिये।

रोचक बात यह है कि भाजपा के सांसद सुशील मोदी, जो कि विधि संबंधी संसदीय समिति के प्रमुख हैं, ने आदिवासी समूहों को यू.सी.सी. के दायरे से बाहर रखने का सुझाव दिया, इसमें पूर्वोत्तर भाग के आदिवासी प्रमुख रूप से शामिल हैं।

सोमवार को संसदीय पैनल की बैठक में कांग्रेस व द्रमुक ने यू.सी.सी. का जोरदार विरोध किया, वहीं शिव सेना (उद्धव ठाकरे गुट) ने कहा कि पहले 22वें विधि आयोग की रिपोर्ट जारी की जाए। वी.आर.एस. जैसी पार्टियों ने कोई राय नहीं दी, वहीं मायावती की बसपा व शिव सेना के शिंदे गुट ने यू.सी.सी. का समर्थन किया।

22वें विधि आयोग की रिपोर्ट में 2018 में कंसलटेशन पेपर बनाते समय यू.सी.सी. पर सुझाव व टिप्पणियां मांगी गई थीं।

संसदीय समिति के सदस्यों ने जानना चाहा कि विधि आयोग यू.सी.सी. पर फिर से लोगों से राय क्यों मांग रहा है।

कांग्रेस प्रतिनिधि ने कहा इस समय यू.सी.सी. की जरूरत नहीं है। इसकी बजाय उन्होंने कहा कि हरेक कानून को स्पष्ट किया जाए और पक्षपाती प्रावधान हटा दिए जाएं।

कैप्टन अमरिंदर होंगे जम्मू-कश्मीर के नए राज्यपाल?

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 5 जुलाई। अगले साल अप्रैल में होने वाले अगले लोकसभा चुनावों की तैयारी की दृष्टि से, जहाँ केन्द्रीय मंत्रिमण्डल एवं भाजपा संगठन में फेरबदल किया जा रहा है, वही ऐसी भी अटकलें यहाँ चर्चा में हैं कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कुछ राज्यों के राज्यपालों को भी बदल सकते हैं।

- बताया जाता है कि, सुनील जाखड़ को पंजाब भाजपा का अध्यक्ष बनाए जाने से नाराज कैप्टन अरिंदर को खुश करने के लिए, उन्हें जम्मू-कश्मीर का राज्यपाल बनाने का प्रस्ताव दिया गया है।

जिन राज्यपालों के नाम इस बाबत चर्चा में है, उनमें पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह (81) का नाम भी शामिल है, जो अपनी असफल क्षेत्रीय पार्टी को भंग करने के बाद भाजपा में शामिल हो गये थे, यह

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

महाराष्ट्र व गोवा, कर्नाटक के उद्योगों को लुभाने की कोशिश में

-लक्ष्मण वैंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 5 जुलाई। कर्नाटक के पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र और गोवा वहाँ पैदा हो रहे संकट का लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल, कर्नाटक का उद्योग जगत वहाँ बिजली की दरों में की गई भारी वृद्धि का विरोध कर रहा है। बिजली की दरें बढ़ने से छोटे तथा मँझोले उद्योग संकट में पड़ गये हैं।

महाराष्ट्र तथा गोवा प्रशासन ने कर्नाटक के सीमावर्ती क्षेत्रों में अपने "फीलर्स" (टोह लेने वाले) भेजना शुरु कर दिया। ये फीलर्स वहाँ के उद्योगों को सस्ती बिजली तथा अन्य सुविधाओं की पेशकश करते हुये, यूनिटों का अपनी दुकानें सीमा-पार स्थापित करने के लिये आमंत्रित कर रहे हैं।

बेलागावी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष हेमेन्द्र पोरवाल ने कहा, "मैं बेलागावी में बैठता हूँ तथा यहाँ से महाराष्ट्र सिर्फ 13 किमी के फासले पर है लेकिन इस प्रकार से किसी उद्योग को शिफ्ट करना आसान नहीं होता। इसके अलावा, मुझे

- इन राज्यों ने कर्नाटक में हाल ही में बिजली के दामों में हुई भारी वृद्धि की मार से बचने के लिये कम बिजली की दर के अलावा कई और रियायती पैकेज देने का प्रस्ताव रखा है।
- जैसा कि विदित ही है, बिजली की दर में भारी वृद्धि होने से कर्नाटक के छोटे, लघु व मध्यम स्तर के उद्योग बंद होने के कगार पर हैं।

बेलागावी से इतना लगाव है कि मैं सीमा पार जाने की सोच भी नहीं सकता। लेकिन उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि उनके कुछ साथी व्यवसायियों के पास "फीलर्स" आ रहे हैं।

उन्होंने कहा, "लेकिन ऐसे फीलर्स तो यहाँ हमेशा ही आते रहते हैं। महाराष्ट्र और गोवा हमें (यहाँ के उद्योगों को) अनेक वर्षों से वहाँ आमंत्रित करते आ रहे हैं तथा वे अपने आमंत्रणों का फॉलो-अप करने की दिशा में नये-नये प्रयास करते रहते हैं।"

बी.सी.सी.आई. के इस पदाधिकारी ने कहा कि सीमा-पार से की जा रही इन नई पहलों की ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहिये। लेकिन उन्होंने यह भी कहा, "अगर स्थितियाँ प्रतिकूल बनी रहीं, तथा बेलगाम को इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं विकास की आवश्यक सुविधा उस मात्रा में नहीं मिली, जिस मात्रा में मिलनी चाहिये, तो कुछ लोग निश्चित रूप से इन प्रस्तावों पर पुनर्विचार करने लगेंगे।"

पोरवाल ने कहा कि कोल्हापुर को देखिये तथा वहाँ के उद्योगों के पास जिस प्रकार की सुविधाएँ तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर है, उस पर नज़र डालिए। उन्होंने कहा कि कर्नाटक सरकार को राज्य के सभी भागों में इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास को

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

शरद पवार ने एन.सी.पी. की कार्यकारिणी की बैठक बुलायी गुरूवार को दिल्ली में

दूसरी ओर चुनाव आयोग को अजीत पवार का पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने पार्टी के नाम व चुनाव चिन्ह पर अपना हक मांगा है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 5 जुलाई। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (एन.सी.पी.) के सुप्रीमो शरद पवार ने गुरूवार को यहां राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक बुलाई है ताकि उनके भतीजे अजीत पवार द्वारा विद्रोह करने से हुए विकास की समीक्षा हो सके और चुनाव आयोग तथा सुप्रीम कोर्ट में इससे निपटने की रणनीति बनाई जा सके।

पवार ने कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में अपने आवास पर बुलाई है। वे बुधवार की शाम दिल्ली रवाना हो गए। इससे पहले बुधवार को मुम्बई में दोनों धड़ों की बैठक हुई।

शरद पवार ने अपने निवास पर गुरूवार दोपहर 3 बजे बैठक बुलाई है।

- पत्र में अजीत पवार ने यह भी दावा किया है कि, अजीत पवार पार्टी के नये अध्यक्ष हैं। पर, पत्र में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि, कब व कैसे वे अध्यक्ष निर्वाचित हुए और उन बैठक में कितने और किन-किन लोगों ने भाग लिया था।
- शरद पवार ने भी चुनाव आयोग को पत्र लिखा कि, कोई भी व्यक्ति एन.सी.पी. का अध्यक्ष नहीं बन सकता, क्योंकि शरद पवार पार्टी के संविधान में अंकित प्रावधान के अनुसार जीवन पर्यन्त अध्यक्ष रहेंगे।
- इसके अलावा यह भी उल्लेखनीय है कि, शरद पवार ने तीन जुलाई को एक "केविएट" दाखिल की थी कि, अजीत पवार के किसी भी पत्र पर कार्यवाही नहीं हो, जब तक शरद पवार को भी सुन नहीं लिया जाता।

शरद पवार गुट ने कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल द्वारा 30 जून को बुलाई गई राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक को अवैध बताया है, यह बैठक कथित तौर पर अजीत पवार को पार्टी का नया अध्यक्ष बनाने के लिए बुलाई गई थी। शरद पवार गुट ने कहा कि 30 जून को ऐसी कोई बैठक नहीं हुई और कम से कम आठ ऐसे सदस्यों के नाम बताए जिन्हें कोई नोटिस नहीं मिला।

अजीत गुट का 30 जून का पत्र चुनाव आयोग को 5 जुलाई को प्राप्त हुआ जिसमें दावा किया गया है कि अजीत पवार ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया है और उनके धड़े को पार्टी का नाम और चिन्ह दिया जाय। पत्र में यह नहीं बताया गया है कि, अजीत पवार कब और कहां पार्टी अध्यक्ष निर्वाचित हुए और कितने लोगों ने मतदान में भाग लिया।

शरद पवार गुट ने दावा किया कि एन.सी.पी. का अध्यक्ष कोई और नहीं बन सकता, क्योंकि चुनाव आयोग द्वारा स्वीकृत पार्टी के संविधान के अनुसार शरद पवार आजीवन पार्टी अध्यक्ष हैं।

चुनाव आयोग के सूत्रों ने कहा कि उसे दोनों पक्षों से पत्र मिले हैं लेकिन उनके साथ आवश्यक दस्तावेज नहीं है जिससे चुनाव आयोग उनके दावों का परीक्षण कर सके।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पेन्नियार नदी जल विवाद की सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट के दो जजों का इन्कार

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 5 जुलाई। सुप्रीम कोर्ट के जजों जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और एम.एस. सुंद्रेश ने कर्नाटक और तमिलनाडू के बीच चल रहे पेन्नियार नदी के जल बंटवारे के मुकदमे से खुद को अलग कर लिया है। उनका कहना है कि वे इन दो राज्यों से हैं और बैंच में बैठेंगे

- जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और एम.एम. सुंद्रेश जो क्रमशः कर्नाटक व तमिलनाडू के हैं, ने दोनों राज्यों के इस विवाद की सुनवाई से यह कह कर खुद को अलग कर लिया कि, अगर वे बैंच में बैठे तो लड़ने लगेंगे।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)